

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक- 12.03.2021

आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा, 2018 के जारी किये गये परिणाम दिनांक 09.07.2020 के क्रम में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7737/2020 प्रेमसिंह राठौड़ एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा 06 अन्य समेकित याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2020 के आलोक में भूतपूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारी तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग हेतु विज्ञापित पदों हेतु अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को पूर्णतः अस्थाई (Purely Provisional) रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया जाता है।

अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र एवं साक्षात्कार की तिथि के सम्बन्ध में यथा समय अवगत करवा दिया जाएगा।

रोल नम्बर टी.एस.पी. क्षेत्र

826372

Total Candidates:- 1

CUT OFF MARKS (T.S.P. AREA)

HORIZONTAL RESERVATION

Category	Cut Off Marks
EX-SERVICEMEN	137.00

रोल नम्बर नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र

800278	800378	800492	801185	802113	802357	803330
803470	803629	803707	803829	805001	805147	805331
805927	806017	806154	806766	806824	807388	807391
808180	808423	808616	808747	809105	809260	809355
809942	810012	810252	811568	811982	812013	812939
813098	813116	813197	813224	813698	813805	814311
815459	816580	816582	817229	817981	818859	818866
818873	820831	821389	822371	822489	824254	824565
825080						

Total Candidates:- 57

CUT OFF MARKS (NON T.S.P. AREA)

HORIZONTAL RESERVATION

Category	Cut Off Marks	
EX-SERVICEMEN	278.50	
SPORTS MEN	316.25	
DC	Rajasthan Excise Subordinate Service	224.75
	Rajasthan Commercial Tax Subordinate Service	140.50
	Rajasthan Food and Civil Logistics Subordinate Service	233.50
	Rajasthan Cooperative Subordinate Service	180.50
	Rajasthan Labour Welfare Subordinate Service	269.75

नोट:-

1. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 323/2019 मे पारित अंतिम आदेश दिनांक 17.12.2020 की अनुपालना में उक्त याचिका में याची अभ्यर्थियो रोल नम्बर-818881 एवं 818874 को परिणाम मे विचारित किये जाने पर दोनो अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु असफल रहते है।
2. अभ्यर्थी रोल नम्बर-810777 का विभागीय कर्मचारी वर्ग हटवाये जाने के कारण प्रारम्भिक परीक्षा के जारी किये गये परिणाम के अन्तर्गत स्वयं के मूल वर्ग के कट ऑफ मार्क्स में नहीं आने के कारण उक्त अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा निरस्त की जाती है।

(शुभम् चौधरी)
सचिव